**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

*निर्णय की तिथि: 09.01.2024*

**<u>आ.प्र.अ. (मू.प.) (वाणि.) 3/2024</u>**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री मनीष के. बिश्नोई सह श्री हितेश लोडवाल, अधिवक्तागण।

बनाम

निदेशक/प्रबंध निदेशक के माध्यम से मैसर्स
डी.एस. टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अंकुर कश्यप, श्री हसन मुर्तजा, सुश्री बुशरा वसीम, श्री समीर शर्मा और श्री पुरुषार्थ सिंह, अधिवक्तागण।

**कोरम:**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री विभु बाखरू**
**माननीय न्यायमूर्ति सुश्री तारा वितस्ता गंजू**

**<u>न्या. विभु बाखरू</u>**

1. अपीलार्थी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (इसके पश्चात् '**एनएचएआई**') ने माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 (इसके पश्चात् '**ए एंड सी अधिनियम**') के अंतर्गत वर्तमान अंतरा-न्यायालय अपील

दायर की है, जिसमें दिनांक 19.09.2023 के एक निर्णय (इसके पश्चात् '**आक्षेपित निर्णय**') को आक्षेपित किया गया है, जिसके अंतर्गत विद्वान एकल न्यायाधीश ने एनएचएआई के मू.वि.या. (वाणि.) 546/2016 शीर्षक वाले *भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम डी.एस. टोल रोड्स प्राइवेट लिमिटेड* के आवेदन को खारिज कर दिया है। एनएचएआई ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत उक्त आवेदन दायर किया था, जिसमें दिनांक 07.07.2016 के एक माध्यस्थम् अधिनिर्णय (इसके पश्चात् '**आक्षेपित अधिनिर्णय**') को आक्षेपित किया गया था।

2. रियायत अनुबंध दिनांक 30.01.2006 (इसके पश्चात् '**रियायत अनुबंध**') और अनुपूरक अनुबंध दिनांक 06.03.2014 (उपरोक्त अनुबंधों को इसके पश्चात् सामूहिक रूप से '**अनुबंध**' संदर्भित किया गया है) के संबंध में उत्पन्न विवादों के संदर्भ में, आक्षेपित अधिनिर्णय तीन सदस्यों वाले एक माध्यस्थम् अधिकरण (इसके पश्चात् '**माध्यस्थम् अधिकरण**') द्वारा दिया गया था।

**तथ्यात्मक संदर्भ**

3. 27.05.2005 को, एनएचएआई ने 'निर्माण, संचालन और अंतरण (बीओटी) के आधार पर तमिलनाडु राज्य में एनएच-7 पर 375.275 कि.मी. (डिंडीगुल बाईपास पर प्रस्तावित फ्लाईओवर की शुरुआत) से 426.6 कि.मी. (समयनल्लोर) तक का डिज़ाइन, निर्माण, विकास, वित्त, संचालन और प्रबंधन' के लिए निविदाएँ आमंत्रित करते हुए एक नोटिस जारी किया।

4. एनएचएआई का बयान है कि उक्त नोटिस के उत्तर में, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड ने अपनी बोली प्रस्तुत की, जो सक्षम और सबसे वहनीय पाई गई। तदनुसार, 30.09.2005 को उक्त कंपनी को एक सफल बोलीदाता घोषित किया गया और एनएचएआई ने बोली की स्वीकृति का पत्र जारी किया।

5. 09.11.2005 को, उक्त कंपनी ने एनएचएआई को सूचित किया कि उसने परियोजना को निष्पादित करने के लिए प्रत्यर्थी (इसके पश्चात् **'डीटीआरएल'**) को एक विशेष प्रयोजन संवाहक के रूप में शामिल किया था।

6. इसके बाद, पक्षकारगण ने रियायत अनुबंध में प्रवेश किया। उक्त अनुबंध के संदर्भ में, डीटीआरएल को आगे बढ़ने के नोटिस की तिथि से तीस महीने की अवधि के भीतर कार्य पूरा करना आवश्यक था और रियायत अवधि नियुक्ति की तिथि से बीस वर्ष के रूप में सहमत हुई थी। रियायत अनुबंध के संदर्भ में, परियोजना के प्रारंभ होने की नियत तिथि 29.07.2006 थी; निर्धारित परियोजना समापन तिथि 29.01.2009 थी; और निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तिथि (**सीओडी**) 30.01.2009 थी।

7. परियोजना में विलंब हुआ। रियायत अनुबंध के खंड 16.5 के अंतर्गत अनंतिम समापन प्रमाणपत्र 27.09.2009 को जारी किया गया था। तदनुसार, डीटीआरएल ने सीओडी से लगभग आठ महीने के विलंब के बाद, 28.09.2009 से परियोजना सड़क का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया।

8. डीटीआरएल के अनुसार, रियायत अनुबंध के अंतर्गत नियत समय के भीतर स्थल को बाधाओं/व्यवधानों से मुक्त करने में एनएचएआई की विफलता के कारण विलंब हुआ। डीटीआरएल ने यह भी दावा किया कि ₹31 करोड़ का सकारात्मक अनुदान जारी करने में विलंब हुआ और तदनुसार, विलंब की अवधि के लिए ब्याज का दावा किया गया।

9. अभियंता ने सीओडी या समापन तिथि बढ़ाने की अनुशंसा नहीं की। दिनांक 28.05.2010 के एक पत्र द्वारा, अभियंता ने स्थल सौंपने में विलंब के लिए ₹ 38,15,360/- के प्रतिकर के भुगतान की अनुशंसा की और आगे अनुशंसा की कि डीटीआरएल को रु.99,22,500/- निर्धारित सीओडी जारी करने में विलंब के लिए साप्ताहिक क्षतिपूर्ति दी जाए।

10. डीटीआरएल ने विवाद उठाए और माध्यस्थम् अनुबंध का अवलंब लेते हुए दिनांक 05.12.2013 को एक पत्र जारी किया। इसके बाद माध्यस्थम् अधिकरण का गठन किया गया।

**माध्यस्थम् कार्यवाही**

11. डीटीआरएल ने माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष दावे का एक बयान दायर किया, जिसमें कुल मिलाकर रु.82,53,29,379/- रुपये का दावा किया गया। आक्षेपित अधिनिर्णय में दिए गए दावों का संक्षिप्त विवरण बताने वाला एक सारणीबद्ध विवरण नीचे दिया गया है:

| | | |
|---|---|---|
| "1. | विस्तारित निर्माण अवधि के कारण संयंत्र और उपकरण के स्थल पर रहने के कारण हुए अतिरिक्त खर्चों के लिए प्रतिकर: | 29,60,96,730/- रुपये |
| 2. | विस्तारित अवधि के दौरान इनपुट सामग्री की लागत में अतिरिक्त वृद्धि के लिए प्रतिकर: | 2,33,40,479/- रुपये |
| 3. | निर्माण अवधि बढ़ने के कारण अवसर और लाभ की हानि के लिए प्रतिकर: | 9,06,45,316/- रुपये |
| 4. | सीओडी में देरी के कारण राजस्व हानि के लिए प्रतिकर: | 27,87,00,000/- रुपये |
| 5. | विस्तारित निर्माण अवधि के कारण अतिरिक्त ऊपरी लागतों के लिए प्रतिकर: | 12,63,63,315/- रुपये |
| 6. | वादा किए गए अनुदान जारी करने में देरी के कारण प्रतिकर: | 1,01,83,538/- रुपये |
| | कुल: | 82,53,29,379/- रुपये" |

12. डीटीआरएल ने दावा किया कि कार्यों के निष्पादन में विलंब निम्नलिखित घटनाओं के कारण हुआ:

"क. मौजूदा आरओडब्ल्यू (मार्ग का अधिकार) को दावेदार को सौंपने में विलंब।

ख. परियोजना राजमार्ग की 4 लेन बनाए जाने के लिए अतिरिक्त आरओडब्ल्यू सौंपने में विलंब।

ग. सहायक मार्ग निर्माण के लिए अतिरिक्त आरओडब्ल्यू सौंपने में विलंब।

घ. प्रतिकर के भुगतान और परिणामस्वरूप परियोजना राजमार्ग की 4-लेन बनाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि में मौजूदा संरचनाओं, पेड़ों और उपयोगिताओं को हटाने में विलंब।

ङ. उपयोगिता स्थानांतरण के लिए अतिरिक्त भूमि की अनुपलब्धता।

च. स्थानीय लोगों के आंदोलन के कारण कार्य में व्यवधान।

छ. गैर-राजनीतिक अप्रत्याशित घटना [वर्षा, हड़ताल आदि] के कारण विलंब।

ज. कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विलंब सहित प्रत्यर्थी द्वारा आवश्यक अनुमोदन और प्रमाणन प्रदान करने में विलंब।"

13. एनएचएआई ने इस बात पर विवाद किया कि डीटीआरएल कार्य के लंबे समय तक चलने के कारण अतिरिक्त लागत या हानि या क्षतिपूर्ति का हकदार था, मुख्यतः इस आधार पर कि अनुबंध के अंतर्गत ऐसी कोई राशि देय नहीं थी। एनएचएआई ने यह भी आरोप लगाया कि डीटीआरएल अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहा।

## आक्षेपित अधिनिर्णय

14. माध्यस्थम् अधिकरण ने पक्षकारगण के बीच विवादों पर विचार किया। इसमें पाया गया कि भूमि अधिग्रहण में एनएचएआई की ओर से अत्यधिक विलंब हुआ था और भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही निर्धारित परियोजना समापन

तिथि के बाद भी जारी रही थी। माध्यस्थम् अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि *"प्रत्यर्थीगण (एनएचएआई) की चूक के परिणामस्वरूप, सीओडी जारी करने में 241 दिनों का विलंब हुआ"*। माध्यस्थम् अधिकरण ने कहा कि देरी के अन्य कारण भी थे, जिनमें संरचनाओं को हटाने और उपयोगिताओं के स्थानांतरण के लिए प्रतिकर के भुगतान में विलंब भी शामिल था। हालाँकि, मुख्य कारण 4-लेन, सहायक मार्ग बनाने और उपयोगिताओं के स्थानांतरण के लिए भूमि/अतिरिक्त भूमि की अनुपलब्धता थी।

15. अभियंता ने यह भी अनुशंसा की थी कि प्रतिकर का भुगतान डीटीआरएल को किया जाए, लेकिन इसकी मात्रा रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1 और 13.5.2 के आधार पर निर्धारित की गई थी। रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1 में नियत तिथि से पहले मौजूदा आरओडब्ल्यू उपलब्ध कराने में एनएचएआई की ओर से विफलता के लिए रु.1000 प्रति माह प्रति हजार वर्ग मीटर की दर से प्रतिकर का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, उक्त उप-खंड सीओडी के बाद प्रति माह रु.2000 के बढ़े हुए प्रतिकर का प्रावधान करता है। इसी प्रकार, रियायत अनुबंध का उप-खंड 13.5.2 अतिरिक्त आरओडब्ल्यू उपलब्ध कराने में देरी के लिए प्रतिकर का प्रावधान करता है। हालाँकि, माध्यस्थम् अधिकरण ने यह स्वीकार नहीं किया कि डीटीआरएल को देय प्रतिकर रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1 और 13.5.2 में नियत राशि तक सीमित था।

16. माध्यस्थम् अधिकरण ने रियायत अनुबंध के उप-खंड 31.2 और रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1 और 13.5.2 का परीक्षण किया और अभिनिर्धारित किया कि उक्त उप-खंडों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना आवश्यक था। माध्यस्थम् अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दिए गए तथ्यों में, डीटीआरएल को देय प्रतिकर रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1 और 13.5.2 के अंतर्गत नियत राशि तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

17. माध्यस्थम् अधिकरण ने डीटीआरएल द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के दावों का परीक्षण किया और आंशिक रूप से इसकी अनुमति दी। आक्षेपित अधिनिर्णय का परिचालित भाग निम्नानुसार है:

> "29. हमारी चर्चा और उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, और एक ओर श्री सुरजीत सिंह और श्री एस.एस. अग्रवाल और दूसरी ओर श्री अरुण कुमार सिन्हा के बीच मतभेद को ध्यान में रखते हुए, हम नीचे दिए अनुसार प्रत्यर्थी के विरुद्ध दावेदार के लिए बहुमत से अधिनिर्णय देते हैं:
>
> 1. विस्तारित अवधि के दौरान स्थल पर संयंत्र और उपकरण के रहने से संबंधित इसके दावे सं. 1 के लिए सीओडी की तिथि से अधिनिर्णय की तिथि तक एसबीआई की मूल आधार दर से 2% अधिक ब्याज सहित 14,05,55,257/- रुपये की राशि।
>
> 2. विस्तारित अवधि के दौरान सामग्रियों पर किए गए अतिरिक्त खर्च से संबंधित दावा सं. 2 के लिए सीओडी की तिथि से अधिनिर्णय की तिथि तक एसबीआई की मूल आधार दर से 2% अधिक ब्याज सहित 1,98,39,409/- रुपये की राशि।
>
> 3. निर्माण अवधि बढ़ने के कारण अवसर/लाभ की हानि से संबंधित दावा सं. 3 के लिए सीओडी की तिथि से अधिनिर्णय

की तिथि तक एसबीआई की मूल आधार दर से 2% अधिक ब्याज सहित 90,64,532/- रुपये की राशि।

4. विलंबित सीओडी के कारण राजस्व हानि से संबंधित दावा सं. 4 के लिए सीओडी के 8 महीने बाद की तिथि से लेकर अधिनिर्णय की तिथि तक एसबीआई की मूल आधार दर पर 2% की दर से ब्याज सहित 24,38,62,500/- रुपये की राशि।

5. विस्तारित अवधि के दौरान ऊपरी लागतों के प्रतिकर के रूप में दावा सं. 5 के लिए सीओडी की तिथि से अधिनिर्णय की तिथि तक एसबीआई की मूल आधार दर पर 2% की दर से ब्याज सहित 5,62,22,103/- रुपये की राशि।

6. इक्विटी समर्थन अनुदान के विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए 1,01,83,539/- रुपये की राशि।

7. उपरोक्त क्रम सं. 1 से 6 में दी गई राशि का भुगतान आज से 60 दिनों की अवधि के भीतर किया जा सकता है, ऐसा न करने पर दावेदार अधिनिर्णय की तिथि से वसूली तक ब्याज सहित दी गई राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी हकदार होगा।

8. प्रत्यर्थी ने प्रत्येक मध्यस्थ को शुल्क के अपने भाग (रु. 2,00,000/- को छोड़कर) का भुगतान नहीं किया है, जिसका भुगतान दावेदार द्वारा भी किया गया है। हम इस संबंध में दावेदार को 10 फरवरी 2016 से वसूली तक 12% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 59,25,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करते हैं। जुर्माने के संबंध में कोई और आदेश नहीं दिया जाएगा।

## आक्षेपित निर्णय

18. एनएचएआई ने कई आधारों पर आक्षेपित अधिनिर्णय [मू.वि.या (वाणि.) 546/2016] को अपास्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया। हालाँकि, बाद

में, विद्वान अधिवक्ता ने चुनौती को सीमित आधार पर परिरुद्ध कर दिया कि दिया गया प्रतिकर रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1 और 13.5.2 के अंतर्गत नियत राशि से अधिक था। एनएचएआई की ओर से यह प्रतिवाद दिया गया कि माध्यस्थम् अधिकरण ने रियायत अनुबंध के उप-खंड 31.2 के आधार पर प्रतिकर देने में गलती की है क्योंकि मार्ग का अधिकार (**आरओडब्ल्यू**) और अतिरिक्त आरओडब्ल्यू को सौंपने में विलंब के लिए देय क्षति की गणना रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1 और 13.5.2 के अंतर्गत नियत राशि के आधार पर की जानी थी।

19. विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित अधिनिर्णय में माध्यस्थम् अधिकरण के तर्क का परीक्षण किया और एनएचएआई की चुनौती को खारिज कर दिया। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "10. उप-खंड 13.5.2 को पढ़ने से पता चलता है कि मार्ग का अतिरिक्त अधिकार उपलब्ध कराने में एनएचएआई की विफलता के विरुद्ध प्रतिकर के रूप में दी जाने वाली राशि उक्त खंड के दायरे में केवल तभी आएगी, जब एनएचएआई द्वारा पारस्परिक वादे को पूरा न करने/विलंब के परिणामस्वरूप अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र में देरी नहीं हुई हो या प्रभावित नहीं हुआ हो।
>
> 11. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति उपरोक्त उप-खंडों के अनुरूप है। यह उप-खंड 13.5.2 का दूसरा परंतुक है जिस पर विचार करने की आवश्यकता होगी और इस प्रकार, क्षतिपूर्ति की गणना उप-खंड 31.2 के अनुसार होगी।"

20. विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे अभिनिर्धारित किया कि माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण स्वीकार्य था। विद्वान एकल

न्यायाधीश ने ***भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम एन.के. टोल रोड लिमिटेड*** में इस न्यायालय के पहले के निर्णय का संदर्भ दिया, जिसके अंतर्गत न्यायालय ने माध्यस्थम् अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जो रियायत अनुबंध के समान शब्दों वाले उप-खंडों की समान व्याख्या पर आधारित था।

21. तदनुसार, एनएचएआई के आवेदन को आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इससे व्यथित होकर एनएचएआई ने वर्तमान अपील को प्रस्तुत किया है।

## *प्रस्तुतियाँ*

22. एनएचएआई की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष के. बिश्नोई ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1, 13.5.2 और 31.2 की गलत व्याख्या की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त उप-खंडों को पढ़ने से संकेत मिलता है कि पक्षकारगण ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि आरओडब्ल्यू और अतिरिक्त आरओडब्ल्यू तक पहुँच प्रदान करने के प्रतिकर की भरपाई रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1 और 13.5.2 में नियत राशि के भुगतान से की जाएगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त खंडों के प्रावधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि देर से सौंपे गए आरओडब्ल्यू के भागों पर कार्य जारी रहने के परिणामस्वरूप समापन

प्रमाणपत्र या अनंतिम समापन प्रमाणपत्र प्रभावित या विलंबित नहीं होगा, जिसके लिए रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1 और 13.5.2 के अंतर्गत प्रतिकर प्रदान किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि माध्यस्थम् अधिकरण, साथ ही विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त उप-खंडों की व्याख्या करने में भारी गलती की है, जिसका अर्थ यह है कि रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1 और 13.5.2 अनुपयुक्त होंगे जहाँ विलंब के परिणामस्वरूप सीओडी में देरी हुई है।

23. उपरोक्त के अतिरिक्त, श्री बिश्नोई ने तीन अन्य आधारों पर भी आक्षेपित अधिनिर्णय को चुनौती दी। सबसे पहले, उन्होंने प्रस्तुत किया कि माध्यस्थम् अधिकरण ने इस तरह की मात्रा का समर्थन करने के लिए किसी भी साक्ष्य के बिना दावा सं. 1 (विस्तारित निर्माण अवधि के कारण संयंत्र और उपकरण के स्थल पर रहने के कारण हुए अतिरिक्त खर्च के प्रतिकर का दावा) के संबंध में देय राशि का निर्धारण करने में भारी गलती की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि माध्यस्थम् अधिकरण ने बिना कोई तर्कपूर्ण तथ्य उपलब्ध कराए और एनएचएआई को इसका विरोध करने का अवसर दिए बिना संयंत्र और उपकरण की लागत को परियोजना की लागत के 20% के रूप में अपनाया था। दूसरा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि माध्यस्थम् अधिकरण ने दावा सं. 3 (निर्माण अवधि के बढ़ने के कारण अवसर और लाभ की हानि के लिए प्रतिकर) के लिए क्षतिपूर्ति देने में भारी गलती की है, यह देखने के बावजूद कि डीटीआरएल ने इस तरह की हानि के लिए पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं किए थे। अंत में, उन्होंने

प्रस्तुत किया कि माध्यस्थम् अधिकरण ने परियोजना के वित्तीय मॉडल के आधार पर राजस्व की हानि (दावा सं. 4) के लिए प्रतिकर देने में गलती की थी, जो अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय समापन प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक चरणों में प्रस्तुत किया गया था।

***कारण और निष्कर्ष***

24. शुरुआत में, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि एनएचएआई ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दिए गए निर्णय की चुनौती को एक ही आधार तक सीमित कर दी थी - कि माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दिया गया प्रतिकर रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1 और 13.5.2 के विपरीत था। एनएचएआई के अनुसार, उप-खंडों की माध्यस्थम् अधिकरण की व्याख्या प्रथम दृष्टया गलत है और एक स्वीकार्य दृष्टिकोण नहीं है।

25. विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 6 में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। हालाँकि, इस न्यायालय के समक्ष श्री बिश्नोई ने चुनौती के अन्य आधार भी उठाने की माँग की थी, जिन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रदर्शित नहीं किया गया था या ज़ोर नहीं दिया गया था।

26. जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है, माध्यस्थम् अधिकरण ने एनएचएआई के इस प्रतिवाद को खारिज कर दिया था कि अत्यधिक विलंब के लिए डीटीआरएल को देय प्रतिकर रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1 और

13.5.2 के अंतर्गत नियत राशि तक ही सीमित था। माध्यस्थम् अधिकरण का निष्कर्ष उक्त उप-खंडों के साथ-साथ रियायत अनुबंध के उप-खंड 31.2 की व्याख्या पर आधारित था। उक्त उप-खंड नीचे दिए गए हैं:

"13.5.1 मार्ग का मौजूदा अधिकार

एनएचएआई द्वारा रियायत प्राप्तकर्ता को मार्ग का मौजूदा अधिकार सभी बाधाओं से मुक्त करके उपलब्ध कराया जाएगा और रियायत प्राप्तकर्ता को रियायती अवधि की अवधि के लिए ऐसे स्थलों के उपयोग के लिए किसी भी लागत, व्यय और प्रभारों के लिए और इस अनुबंध में स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए को छोड़कर एनएचएआई को कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। एनएचएआई यह सुनिश्चित करेगा कि रियायत प्राप्तकर्ता को नियुक्ति तिथि पर या उससे पहले, मुख्य परिवहन मार्ग के निर्माण के लिए बिना किसी बाधा के मार्ग के संपूर्ण मौजूदा अधिकार तक पहुँच प्राप्त हो। हालाँकि, परंतु यदि एनएचएआई अप्रत्याशित घटना या रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा इस अनुबंध के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से मार्ग के मौजूदा अधिकार के किसी भी भाग या भागों तक ऐसी पहुँच सक्षम नहीं करता है और यदि निर्माण कार्य के लिए रियायत प्राप्तकर्ता को ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तो एनएचएआई प्रति 1,000 (एक हजार) वर्ग मीटर या उसके भाग पर 1,000 रुपये (एक हजार रुपये) प्रति माह की दर से रियायत प्राप्तकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। यदि परियोजना राजमार्ग के सुचारू और कुशल परिचालन के लिए ऐसा क्षेत्र आवश्यक है तो सीओडी के बाद इस तरह की क्षतिपूर्ति को प्रति माह 2,000 रुपये (दो हजार रुपये) तक बढ़ाया जाएगा। परंतु परियोजना राजमार्ग के लिए समापन प्रमाणपत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, निर्धारित परियोजना समापन तिथि के बाद निर्माणाधीन मार्ग के मौजूदा अधिकार के ऐसे भागों के परिणामस्वरूप प्रभावित या विलंबित नहीं होगा।

13.5.2 मार्ग का अतिरिक्त अधिकार

मुख्य परिवहन मार्ग के निर्माण के लिए मार्ग का अतिरिक्त अधिकार रियायत प्राप्तकर्ता को यहाँ उल्लिखित सौंपने के निश्चित समय के

अनुसार बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराया जाएगा और रियायत प्राप्तकर्ता को रियायती अवधि की अवधि के लिए मार्ग के ऐसे अतिरिक्त अधिकार के उपयोग के लिए किसी भी लागत, व्यय और प्रभार के लिए एनएचएआई को कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। नियत तिथि से 6 (छह) महीने या उससे पहले मुख्य परिवहनमार्ग के निर्माण के लिए मार्ग के अतिरिक्त अधिकार का 50% (पचास प्रतिशत), नियत तिथि से 12 (बारह) महीने या उससे पहले मुख्य परिवहनमार्ग के निर्माण के लिए मार्ग के अतिरिक्त अधिकार का शेष 50% (पचास प्रतिशत)। सहायक मार्ग और अन्य सुविधाओं के लिए मार्ग का अतिरिक्त अधिकार नियुक्ति तिथि से 18 (अठारह) महीने या उससे पहले रियायत प्राप्तकर्ता को सौंप दिया जाएगा। नियुक्ति तिथि पर या उसके बाद, रियायत प्राप्तकर्ता इस अनुबंध के अनुसार परियोजना राजमार्ग पर सभी निर्माण कार्य में लगेगा, शुरू करेगा और पूरा करेगा। परंतु, यदि एनएचएआई यहाँ उल्लिखित निश्चित समय के अनुसार किसी अप्रत्याशित घटना या रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा इस अनुबंध के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी भी कारण से मार्ग के अतिरिक्त अधिकार के किसी भी भाग या भागों तक ऐसी पहुँच सक्षम नहीं करता है, और यदि निर्माण कार्य के लिए रियायत प्राप्तकर्ता को ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तो एनएचएआई प्रति 1,000 (एक हजार) वर्ग मीटर या उसके भाग पर 1,000 रुपये (एक हजार रुपये) प्रति माह की दर से रियायत प्राप्तकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। यदि परियोजना राजमार्ग के सुचारू और कुशल परिचालन के लिए ऐसा क्षेत्र आवश्यक है तो सीओडी के बाद इस तरह की क्षतिपूर्ति को 2,000 रुपये (दो हजार रुपये) प्रति माह तक बढ़ाया जाएगा। परंतु परियोजना राजमार्ग के लिए समापन प्रमाणपत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, निर्धारित परियोजना समापन तिथि के बाद निर्माणाधीन मार्ग के मौजूदा अधिकार के ऐसे भागों के परिणामस्वरूप प्रभावित या विलंबित नहीं होगा।

xxx xxx xxx

31.2 एनएचएआई द्वारा इस अनुबंध में महत्वपूर्ण चूक होने की स्थिति में और इस तरह की चूक को समाप्ति से पहले ठीक कर लिया जाता है, तो एनएचएआई प्रतिकर के रूप में रियायत प्राप्तकर्ता को एनएचएआई द्वारा इस तरह की भौतिक चूक से उत्पन्न सभी प्रत्यक्ष अतिरिक्त

लागतों का माँग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर एकमुश्त या एनएचएआई के विकल्प पर 3 (तीन) समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में एसबीआई की मूल आधार दर सहित 2% (दो प्रतिशत) ब्याज के साथ भुगतान करेगा।

27. माध्यस्थम् अधिकरण ने रियायत अनुबंध के उपरोक्त खंडों पर विचार किया था और निष्कर्ष निकाला था कि इन्हें सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना आवश्यक है। आक्षेपित अधिनिर्णय का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

"12. उप-खंड 13.5.1 प्रत्यर्थी द्वारा नियत तिथि पर या उससे पहले मार्ग का मौजूदा अधिकार उपलब्ध कराने में विफल रहने की स्थिति में 1000 वर्गमीटर या उसके भाग के लिए 1000/- रुपये प्रति माह की दर से पूर्व निर्धारित प्रतिकर का प्रावधान करता है। सीओडी के बाद प्रतिकर बढ़ाकर 2000/- रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। मार्ग के अतिरिक्त अधिकार के संबंध में उप-खंड 13.5.2 में भी ऐसा ही उपबंध है। उप-खंडों की भाषा (विशेष रूप से सीओडी के बाद क्षतिपूर्ति को दोगुना करने का उपबंध) का तात्पर्य है कि ये प्रतिकर केवल उन मामलों में लागू होते हैं जहाँ भूमि के इन भागों पर कार्य पूरा न होने के कारण अनंतिम समापन प्रमाणपत्र और सीओडी प्रभावित या विलंबित नहीं होता है। मामले को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए, इन दोनों खंडों में निम्नलिखित एक परंतुक जोड़ा गया है:

*"परंतु परियोजना राजमार्ग के लिए समापन प्रमाणपत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, निर्धारित परियोजना समापन तिथि के बाद निर्माणाधीन मार्ग के मौजूदा अधिकार के ऐसे भागों के परिणामस्वरूप प्रभावित या विलंबित नहीं होगा।"*

अतः, स्पष्ट रूप से, इन उप-खंडों को ऐसी छोटी-मोटी चूकों के लिए रियायत अनुबंध में शामिल किया गया था, जो ऐसी भूमि पर कार्य अधूरा रहने के कारण अनंतिम समापन प्रमाणपत्र जारी करने को प्रभावित या विलंबित नहीं करता था। हम इन उप-खंडों को हमारे

सामने मौजूद वर्तमान मामले पर लागू नहीं पाते हैं जहाँ अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र और सीओडी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और देरी हुई।

13. रियायत अनुबंध में एक और शर्त है जो हमें हमारे सामने मौजूद वर्तमान मामले के लिए उपयुक्त लगती है। रियायत अनुबंध का उप-खंड 31.2 प्रत्यर्थी द्वारा महत्वपूर्ण उल्लंघन के लिए प्रतिकर के भुगतान को निर्दिष्ट करता है, जिसे हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं:

> *"312 एनएचएआई द्वारा इस अनुबंध में महत्वपूर्ण चूक होने की स्थिति में और इस तरह की चूक को समाप्ति से पहले ठीक कर लिया जाता है, तो एनएचएआई प्रतिकर के रूप में रियायत प्राप्तकर्ता को एनएचएआई द्वारा इस तरह की भौतिक चूक से उत्पन्न सभी प्रत्यक्ष अतिरिक्त लागतों का माँग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर एकमुश्त या एनएचएआई के विकल्प पर 3 (तीन) समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में एसबीआई की मूल आधार दर सहित 2% (दो प्रतिशत) ब्याज के साथ भुगतान करेगा।"*

14. न केवल रियायत अनुबंध में एक खंड को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि अनुबंध में किसी भी खंड को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। उप-खंड 13.5.1 और 13.5.2 को उनकी संपूर्णता में (परंतुक सहित) और उप-खंड 31.2 को पढ़ने पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि केवल उप-खंड 31.2 के अनुसार प्रतिकर प्रत्यर्थी द्वारा महत्वपूर्ण चूक के लिए स्वीकार्य है, जब सीओडी प्रभावित हुआ और विलंबित हुआ हो। न तो उप-खंड 13.5.1 और 13.5.2 के परंतुक को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है, न ही उप-खंड 31.2 की शर्तों को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है।

15. मध्यस्थता में हमें देश के मूल कानून के अनुसार कार्य करना आवश्यक है, जो इस मामले में भारतीय संविदा अधिनियम है। दावेदार ने प्रत्यर्थी एनएचएआई की चूक के कारण प्रतिकर के लिए भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 53/54/55/73 का संदर्भ दिया है। दावेदार द्वारा दावा किया गया प्रतिकर और हानि सीधे और स्वाभाविक रूप से सामान्य प्रक्रिया में, प्रत्यर्थी एनएचएआई द्वारा

> किए गए महत्वपूर्ण उल्लंघन से उत्पन्न हुई और इसलिए, वह उचित प्रतिकर का हकदार है।"

28. यह प्रतिवाद कि रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1 और 13.5.2 की व्याख्या एनएचएआई द्वारा प्रदर्शित तरीके से की जानी आवश्यक है, निराधार नहीं है। हालाँकि, ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत परीक्षण का दायरा सीमित है। न्यायालय को विवादों पर दोबारा न्यायनिर्णय देने की आवश्यकता नहीं है। यह माध्यस्थम् अधिकरण के स्थान पर अपना दृष्टिकोण नहीं रख सकता। यह स्थापित विधि है कि माध्यस्थम् अधिकरण विवादों का अंतिम न्यायनिर्णायक है। ***एम.एस.के प्रोजेक्ट्स आईजेवी लिमि. बनाम राजस्थान राज्य*** में, उच्चतम न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर अभिनिर्धारित किया था कि संविदा की व्याख्या का प्रश्न पूरी तरह से माध्यस्थम् अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसे निम्नानुसार देखा गया:

> "17. यदि मध्यस्थ संविदा के निर्माण में कोई त्रुटि करता है, तो यह उसके अधिकार क्षेत्र में एक त्रुटि है। लेकिन अगर वह संविदा से बाहर जाता है और उसे आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटता है, तो वह अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि करता है..."

29. न्यायालय किसी माध्यस्थम् अधिनिर्णय को केवल तभी अपास्त कर सकता है जब उसे पता चले कि अभिलेख के अनुसार यह पेटेंट अवैधता के कारण दूषित है। ***दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड*** मामले में उच्चतम न्यायालय ने पेटेंट अवैधता के आधार पर हस्तक्षेप की गुंजाइश को निम्नानुसार समझाया था:

> "29. पेटेंट अवैधता, अवैधता होनी चाहिए जो मामले की जड़ तक जाती है। दूसरे शब्दों में, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा की गई विधि की प्रत्येक त्रुटि "पेटेंट अवैधता" की अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएगी। इसी तरह, विधि के गलत अनुप्रयोग को पेटेंट अवैधता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक हित से जुड़ी विधि का उल्लंघन "पेटेंट अवैधता" अभिव्यक्ति के दायरे से परे है। न्यायालयों के लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्यों की पुनः विवेचना करना प्रतिषिद्ध है कि अधिनिर्णय प्रथम दृष्टया दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है, क्योंकि माध्यस्थम् अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील में न्यायालय की बैठक नहीं होती है। पेटेंट अवैधता के आधार पर धारा 34(2-क) के अंतर्गत घरेलू अधिनिर्णय में हस्तक्षेप के लिए स्वीकार्य आधार तब होता है जब मध्यस्थ कोई ऐसा दृष्टिकोण अपनाता है जो संभव भी नहीं है, या संविदा में किसी खंड की ऐसी व्याख्या करता है जो कोई भी निष्पक्ष या तर्कशील व्यक्ति नहीं करेगा, या यदि मध्यस्थ अनुबंध के बाहर जाता है और उन्हें आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटकर अधिकार क्षेत्र की त्रुटि करता है। अपने निष्कर्षों के लिए कोई कारण न बताने वाला माध्यस्थम् अधिनिर्णय इस कारण स्वयं को चुनौती के लिए अतिसंवेदनशील बना देगा। मध्यस्थ के ऐसे निष्कर्ष जो बिना किसी साक्ष्य पर आधारित हैं या महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नज़रअंदाज़ करके निकाले गए हैं, दुराग्रहपूर्ण होते हैं और पेटेंट अवैधता के आधार पर अपास्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उन दस्तावेज़ों पर विचार करना जो दूसरे पक्ष को प्रदान नहीं किए गए हैं, "पेटेंट अवैधता" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाली दुराग्रहिता का एक पहलू है।"

30. वर्तमान मामले में, हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि माध्यस्थम् अधिकरण की रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1, 13.5.2 और 31.2 की व्याख्या एक संभावित दृष्टिकोण नहीं है। हम इस प्रतिवाद को खारिज करते हैं कि उपरोक्त उप-खंडों की माध्यस्थम् अधिकरण की व्याख्या ऐसी है जिसे कोई भी उचित व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है।

31. श्री बिश्नोई ने स्वीकार किया कि ***भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम एन.के. टोल रोड लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* में, न्यायालय ने एक माध्यस्थम् अधिनिर्णय की चुनौती को खारिज कर दिया था, जो माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए रियायत अनुबंध के उप-खंड 13.5.1, 13.5.2 और 31.2 की व्याख्या पर आधारित था। इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने *आ.प्र.अ (मू.प.) (वाणि.) 113/2017* शीर्षक वाले *भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम एन.के. टोल रोड लिमिटेड* में पारित दिनांक 26.07.2023 के आदेश द्वारा उक्त निर्णय पर एनएचएआई की चुनौती को खारिज कर दिया था। एनएचएआई ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (वि.अनु.या. (सि.) सं. 23840/2023) दायर की थी, जिसे 10.11.2023 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

32. हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के इस दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं दिखता कि माध्यस्थम् अधिकरण की व्याख्या स्वीकार्य है।

33. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

34. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस आधार पर आक्षेपित निर्णय को चुनौती देने के अतिरिक्त कि माध्यस्थम् अधिकरण ने रियायत अनुबंध के उप-खंडों की गलत व्याख्या की थी, श्री बिश्नोई ने अन्य आधारों पर भी आक्षेपित निर्णय को चुनौती देने की माँग की थी। स्पष्ट रूप से, एनएचएआई विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष स्पष्ट रूप से अपनी चुनौती को एकमात्र आधार तक सीमित रखने के बाद आगे के आधार पर आक्षेपित अधिनिर्णय को चुनौती देने का हकदार नहीं है।

35. उपरोक्त बयान देने के बाद, हमने श्री बिश्नोई के आग्रह के अनुसार अतिरिक्त आधारों का भी संक्षेप में परीक्षण किया है। यह प्रतिवाद कि दावा सं. 1 के लिए अधिनिर्णीत प्रतिकर बिना किसी तथ्य के है, प्रथम दृष्टया गलत है। विस्तारित निर्माण अवधि के कारण स्थल पर संयंत्र और उपकरणों के लिए किए गए अतिरिक्त खर्चों के आधार पर डीटीआरएल ने रु.29,60,96,730/- की राशि का दावा किया था। डीटीआरएल ने उन संयंत्र और मशीनरी की एक सूची भी तैयार की थी जिन्हें बनाए रखने की आवश्यकता थी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की डेटा बुक में निर्धारित ऐसे संयंत्र और मशीनरी के लिए दरों के आधार पर प्रतिकर की गणना की थी और प्रति घंटा ड्राई रेट पर पहुँचने के लिए उक्त दर को 40% तक और कम कर दिया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि डीटीआरएल का दावा उसके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर आधारित था। हालाँकि, माध्यस्थम् अधिकरण ने संयंत्र और उपकरण की लागत को परियोजना

की लागत के 20% तक सीमित करके प्रतिकर को कम कर दिया था और तदनुसार, देरी की अवधि के अनुपात में संयंत्र और उपकरण की प्रति दिन की लागत की गणना की थी। माध्यस्थम् अधिकरण ने तर्क दिया था कि चूँकि डीटीआरएल को तीस महीने की अवधि के लिए स्थल पर संयंत्र और मशीनरी को बनाए रखने की आवश्यकता थी, इसलिए आठ महीने की अवधि के लिए आनुपातिक लागत (इस आधार पर कि संयंत्र और मशीनरी परियोजना की लागत का 20% थी) को क्रियान्वित किया जा सकता था। ऐसी हानियों को संभावित रूप से कम करने के लिए भत्ते के रूप में इसे 15% और कम कर दिया गया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि माध्यस्थम् अधिकरण ने इस तरह के प्रतिकर के लिए डीटीआरएल के अधिकार को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उपरोक्त आधार पर राशि कम कर दी थी। श्री बिश्नोई ने प्रस्तुत किया था कि उन्होंने विस्तारित अवधि के लिए संयंत्र और मशीनरी के प्रतिकर के लिए डीटीआरएल के अधिकार के संबंध में माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया था, लेकिन जिस तरीके से इसकी गणना की गई थी, वह उस पर प्रश्न उठा रहे थे। आक्षेपित अधिनिर्णय से यह स्पष्ट है कि माध्यस्थम् अधिकरण ने डीटीआरएल के दावे को कम करने के लिए एक तरीका तैयार किया था, जिसे पर्याप्त तथ्यों द्वारा समर्थित किया गया था।

36. माध्यस्थम् अधिकरण ने स्वीकार किया था कि निर्माण अवधि बढ़ने के कारण अवसर और लाभ की हानि के लिए डीटीआरएल प्रतिकर का हकदार था।

हालाँकि, माध्यस्थम् अधिकरण ने रु.9,06,45,316/- की दावा की गई राशि की डीटीआरएल की गणना को स्वीकार नहीं किया। माध्यस्थम् अधिकरण ने पाया कि डीटीआरएल ने दावे के अनुसार मात्रा स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं किया था। तदनुसार, अधिकरण ने सांकेतिक क्षतिपूर्तियाँ अधिनिर्णीत कीं। यह सुस्थापित है कि जहाँ कोई पक्ष, जो प्रतिकर का हकदार है और उसे स्थापित करने में असमर्थ है, तो सांकेतिक क्षतिपूर्तियों को अधिनिर्णीत किया जा सकता है। यह भी सर्वविदित है कि सांकेतिक क्षतिपूर्तियाँ आवश्यक रूप से प्रतीक राशि तक ही सीमित नहीं है। वर्तमान मामले में, माध्यस्थम् अधिकरण ने दावा की गई राशि की 1% सांकेतिक क्षतिपूर्ति निर्धारित की थी। हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि इस संबंध में आक्षेपित अधिनिर्णय इन कार्यवाहियों में अपास्त किए जाने के अधीन है।

37. श्री बिश्नोई का यह प्रतिवाद कि देरी की अवधि के दौरान राजस्व की हानि के लिए दिया गया प्रतिकर (दावा सं. 4) आधारहीन है, निराधार है। डीटीआरएल ने दावा किया था कि कार्य पूरा होने में देरी के कारण राजस्व की हानि के रूप में रु.27,87,00,000/- की क्षति हुई। चूँकि सीओडी में आठ महीने की देरी हुई थी, डीटीआरएल देरी की अवधि के लिए राजस्व एकत्र करने में असमर्थ था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माध्यस्थम् अधिकरण का निर्णय कि डीटीआरएल इस आधार पर प्रतिकर का हकदार था, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हालाँकि,

श्री बिश्नोई ने प्रतिकर की राशि की गणना पर प्रश्न उठाया था। उनके अनुसार, यह किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं था। डीटीआरएल को यह स्थापित करने की आवश्यकता थी कि उसने विचाराधीन परियोजना राजमार्ग के वाणिज्यिक परिचालन के दावे के अनुसार राजस्व अर्जित किया होगा। डीटीआरएल ने परियोजना के वित्तीय मॉडल के आधार पर दावे की गणना की थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त वित्तीय मॉडल प्रारंभिक चरण में एनएचएआई को प्रस्तुत किया गया था। परियोजना की व्यवहार्यता और डीटीआरएल द्वारा प्रस्तुत बोली को उसके द्वारा प्रस्तुत वित्तीय मॉडल द्वारा मान्य किया गया था। स्पष्ट रूप से, वित्तीय मॉडल राजस्व हानि के दावे की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तथ्य होगा। इस प्रकार, हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दिया गया प्रतिकर बिना किसी तथ्य के है।

38. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील खारिज की जाती है।

**न्या. विभु बाखरू**

**न्या. तारा वितस्ता गंजू**

**9 जनवरी 2024**
**आरके**

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*